

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भुखण्ड सं०-१, नॉलिज पार्क-४,
ग्रेटर नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

पत्रांक: एएमल०१,२,३/बीएचएस०६/सम्पत्ति/२०१८/१३६३ दिनांक ०५/०७/२०१८

कार्यालय-आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बिल्टअप हॉउसिंग योजना अमलताश १,२,३, एवं बीएचएस०६ योजनाओं में सैक्टर-सिगमा-३,४ के अर्न्तगत योजनाओं भवनों के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा ६४.७ प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, के सापेक्ष जारी मांग पत्र को निरस्त करने एवं जमा अतिरिक्त प्रतिकर को वापस के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के द्वारा गठित समिति की बैठक में निम्नवत् निर्णय लिया गया है।

१. प्राधिकरण की बिल्टअप हॉउसिंग योजना अमलताश १,२,३, एवं बीएचएस०६ योजनाओं में सैक्टर-सिगमा-३,४ के अर्न्तगत योजनाओं में पडने वाली भवनों की भूमि के किसानों को ६४.७ प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया गया है। ऐसे आंवटी अतिरिक्त प्रतिकर हेतु जारी मांग पत्र के सापेक्ष अतिरिक्त प्रतिकर की राशि को जमा करना होगा।
२. प्राधिकरण की बिल्टअप हॉउसिंग योजना अमलताश १,२,३, एवं बीएचएस०६ योजनाओं में सैक्टर-सिगमा-३,४ के अर्न्तगत योजनाओं में पडने वाली भवनों की भूमि के किसानों को ६४.७ प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर नहीं दिया गया है। ऐसे आंवटी अतिरिक्त प्रतिकर हेतु जारी मांग पत्र के सापेक्ष जमा धनराशि को बिना ब्याज के वापस ले सकते है।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक १४/०६/२०१८ के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

(आर०के०देव)
महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)

प्रतिलिपि :-

- स्टॉफ आफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- महाप्रबन्धक (वित्त) महोदय को अवलोकनार्थ।
- प्रबन्धक (सम्पत्ति) को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड फाइल।

System Department

महाप्रबन्धक (सम्पत्ति)